

5-6-2015

पत्रावली राज राजस्व लोक अदालत /
 केम्प कोर्ट फिल सेवा केन्द्र गुण्डा
 बनेगा पर प्रस्टुन हुयी वादीगण के
 ओर से गजेश व परिवारी न० ।
 बराम उपस्थित वादीगण के द्वारा
 उदघोषणा, दुरस्ती इन्द्राज व स्थायी
 निषेधाज्ञा का दावा पेश किया
 गया है, जबकि वादग्रस्त पक्ष जयिने
 ना-स- 619 डि 15-5-2000 सस्पेंड
 गुणम पंचायत के निर्णय से परिवारी न०
 के नाम दर्ज हुयी है, ना-स-
 619 डि 15-5-2000 से समील
 संख्या 7/14 की न्यायालय हाजा में
 प्रस्टुन की हुयी है, जिसका निर्णय
 न्यायालय द्वारा दि 5-6-15 से किया
 जा चुका है। इस बाद से चलने
 का कोई सोचिष नहीं है अतः वाद
 वादीगण स्वार्थिक स्थि जा चुका है
 पत्रावली के लिये गुण्डा दोहरा प्रस्टुन
 से कम है तथा दफ्तर कार्यरत है।

दि

खण्ड अधिकारी
 उनियारा जिमा टैंक